



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124902

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 20472 वर्ष 2026

प्रभात दुबे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मुशीर खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

"अतः, माननीय उच्च न्यायालय से अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपापूर्वक इस आवेदन को स्वीकार करने और थाना ग्वालटोली, जिला कानपुर नगर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 0055/2025, अंतर्गत धारा 296 बी.एन.एस. में आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 30.05.2025 के साथ-साथ विद्वान ए.सी.जे.एम.-7, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित आपराधिक मामला संख्या- 9093/2026 (राज्य बनाम प्रभात दुबे), वाद अपराध संख्या 0055/2025, अंतर्गत धारा 296 बी.एन.एस. थाना ग्वालटोली, जिला कानपुर नगर में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संज्ञान/समन आदेश दिनांक 04.02.2026 को निरस्त करने की कृपा करे, अन्यथा आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठे व निराधार आरोपों के आधार पर वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और वह किसी लड़की या महिला को लक्षित करके कोई अश्लील गाना नहीं गा रहा था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना के दिन, आवेदक अपने चार पहिया वाहन संख्या- यूपी 54 डब्लू 9695 से लाल इमली चौराहा पार कर रहा था और विपक्षी संख्या- 2 व अन्य पुलिसकर्मियों ने वाहन को रोका तथा 5,000/- रुपये की मांग की। जब आवेदक ने उनकी इस अवैध मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसे एक झूठे मामले में फंसा दिया। आरोपों को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। विवेचक ने निष्पक्ष और उचित विवेचना नहीं की है और आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 04.02.2026 को संज्ञान ले लिया, जबकि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है, इसलिए समन/संज्ञान आदेश के साथ-साथ उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों, विपक्षी संख्या- 2 और गवाहों के बयानों तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के परिशीलन से, आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। दिनांक 25.04.2025 को गश्त के दौरान, विपक्षी संख्या- 2 ने पाया कि आवेदक वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं को लक्षित करके अश्लील गाने गा रहा था, और इस प्रकार, संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. अभिलेख के अनुसार, विपक्षी संख्या- 2 ने इस आरोप के साथ थाना ग्वालटोली, जिला कानपुर नगर में आवेदक के विरुद्ध धारा 296 बी.एन.एस. के तहत वाद अपराध संख्या- 55 वर्ष 2025 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25.04.2025 को आवेदक वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं को लक्षित करके अश्लील गाने गा रहा था। विवेचना के दौरान, विपक्षी संख्या- 2 और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 04.02.2026 को संज्ञान लिया।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से और इस चरण में मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका न्यायिक निर्धारण इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। इस चरण में केवल प्रथम दृष्ट्या मामला ही देखा जाना है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में जेडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य (पैराग्राफ-10), 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट है। अभियुक्त के विवादित बचाव पर इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को निरस्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए इसे निरस्त करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।